प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 20.12.2010 - भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधाई विभाग, नई दिल्ली से प्राप्त अर्धसरकारी पत्र के अनुसरण में यह सूचित किया गया है कि - भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय ने विधि के क्षेत्र में हिन्दी तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग और प्रचार के लिए काम करने वाली स्वैच्छिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए एक योजना बनाई है । अनुदान उन्हीं संस्थानों को दिया जाएगा, जो भारत के संविधान में उल्लिखित किसी भाषा में निम्नलिखित में से कोई कार्य करती है, जैसे कि -

1. विधि की मौलिक पुस्तकों की रचना और प्रकाशन
2. विधि की मानक पुस्तकों या गौरव ग्रंथों का अनुवाद और प्रकाशन
3. विधि शब्दकोश निर्माण और प्रकाशन
4. निर्णय पत्रिकाओं का प्रकाशन
5. कोई अन्य प्रकाशन जो हिन्दी या किसी अन्य राजभाषा का विधि के क्षेत्र में प्रचार एवं प्रसार करें और
6. प्रादेशिक भाषाओं में उन कृतियों के अतिरिक्त अनुदान देने पर भी विचार किया जाएगा, जिनके साथ उनका हिन्दी पाठ संलग्न हो ।

उक्त योजना के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र संयुक्त सचिव, विधाई विभाग, नई दिल्ली को भेजने के लिए अंतिम तिथि 31 दिसम्बर तक बढाई गई है । आवेदन पत्र एवं उक्त स्कीम के बारे में विस्तृत विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.lawmin.nic.in/ owling से डाउनलोड किया जा सकता है । संघ प्रदेश दमण एवं दीव के पात्रता रखनेवाले संगठनों से अनुरोध है कि वे 27.12.2010 तक भरे हुए आवेदन पत्र राजभाषा विभाग, सचिवालय, दमण में पहुँच जाने के लिए भेजें, ताकि विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली को इ वित्तीय सहायता / गगली कार्रवाई के लिए भेजा जा सके ।

रा.भा.11(29)/विधि पुस्तक लेखन-वित्तीय सहायता/119
दिनांक :20.12.2010

(अन्तर्यामी परिड़ा)
सहायक निदेशक(राजभाषा)
सचिवालय, दमण

सेवा में ,

1. क्षेत्र प्रचार अधिकारी, समाहर्तालय, दमण को इसे स्थानीय हिन्दी समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार करने हेतु अनुरोध सहित ।
2. जिला सूचना-विज्ञान अधिकारी, सचिवालय, दमण को प्रशासन की वेबसाईट में डालने हेतु अनुरोध के साथ ।